एम.ए. लोक प्रशासन	कार्यक्रम कोड : एमएपीए
M. A. Public Administration	**Programme Code : MAPA**

उद्देश्य (Objectives) :

- प्रवेश प्राप्त विषय में सघन ज्ञानार्जन द्वारा भावी विशेषज्ञता का संधान।
- अखिल भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में चयन की सामर्थ्य का विकास।
- विविध गैर–सरकारी संगठनों *(N.G.Os)* में बेहतर रोजगार सम्भावनाओं का अभिज्ञान।
- विश्व बैंक समेत विविध अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए परियोजना निर्माण की दक्षता का निर्धारण।
- प्रशासनिक प्रक्रियाओं से प्रगाढ़ परिचय और उस आधार पर प्रासंगिक सार्वजनिक नीतियाँ/कार्यक्रमों के निरूपण व मूल्यांकन की सामर्थ्य का विस्तार।

प्रवेश योग्यता
(Admission Eligibility) : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) उपाधि।

अवधि (Duration) : न्यूनतम 2 वर्ष ; अधिकतम 6 वर्ष

माध्यम (Medium) : पाठ्य सामग्री केवल हिन्दी में उपलब्ध

श्रेयांक (Credit) : 72
एम.ए. (पूर्वार्द्ध) 32 श्रेयांक
एम. ए. (उत्तरार्द्ध) 40 श्रेयांक

शुल्क (Fee) : एम.ए. (पूर्वार्द्ध) रू. 4000/–
: एम.ए. (उत्तरार्द्ध) रू. 4000/–

कार्यक्रम संरचना (Programme Structure) :

एम.ए. लोक प्रशासन के पूर्वार्द्ध में कुल चार पाठ्यक्रम होंगे। जबकि उत्तरार्द्ध में कुल पाँच पाठ्यक्रम होंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम 8 श्रेयांक का होगा। विद्यार्थियों को हिन्दी माध्यम की पाठ्यसामग्री उपलब्ध करवायी जाएगी। एम.ए. उत्तरार्द्ध के अन्तिम पाठ्यक्रम निबंध लेखन एमएपीए–09 के लिए कोई अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं करवायी जाएगी।

एम.ए. (पूर्वार्द्ध) लोक प्रशासन

क्र.सं. (S.No).	पाठ्यक्रम का नाम (Name of Course)	पाठ्यक्रम कोड (Course Code)	श्रेयांक (Credit)
1.	लोक प्रशासन के सिद्धान्त *Principles of Public Administration*	एमएपीए–01 *MAPA-01*	*8*
2.	तुलनात्मक लोक प्रशासन *Comparative Public Administration*	एमएपीए–02 *MAPA-02*	*8*
3.	भारतीय प्रशासन *Indian Administration*	एमएपीए–03 *MAPA-03*	*8*
4.	कार्मिक प्रशासन *Personnel Administration*	एमएपीए–04 *MAPA-04*	*8*

एम.ए. (उत्तरार्द्ध) लोक प्रशासन

क्र.सं. (S.No)	पाठ्यक्रम का नाम (Name of Course)	पाठ्यक्रम कोड (Course Code)	श्रेयांक (Credit)
1.	प्रशासनिक विचारक *Administrative Thinkers*	एमएपीए–05 *MAPA-05*	*8*
2.	विकास प्रशासन *Development Administration*	एमएपीए–06 *MAPA-06*	*8*
3.	राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत में राज्य प्रशासन *State Administration in the Special Context of Rajasthan*	एमएपीए–07 *MAPA-07*	*8*
4.	सार्वजनिक नीति *Public Policy*	एमएपीए–08 *MAPA-08*	*8*
5.	निबन्ध *Essay**	एमएपीए–09 *MAPA-09*	*8*

* इस पाठ्यक्रम की सत्रांत परीक्षा (मुख्य परीक्षा) में प्रश्नपत्र 100 अंकों का होता है। इस पाठ्यक्रम में कोई सत्रीय गृहकार्य नहीं दिया जाता है। इसमें दो खण्ड होते हैं। खण्ड –''अ'' में एम.ए. पूर्वार्द्ध के चारों पाठ्यक्रमों में दी गई पाठ्य सामग्री में से कोई पांच शीर्षक दिये जाते हैं। इनमें से आपको 2500 शब्दों का एक निबंध लिखना होता है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम के खण्ड –''ब'' में एम.ए. उत्तरार्द्ध की अध्ययन सामग्री में से पांच शीर्षक दिये जाते हैं। जिनमें से किसी एक शीर्षक पर 2500 शब्दों का एक निबंध लिखना होता है। इस प्रकार आपको अपनी पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध की सम्पूर्ण सामग्री में से दो निबंध लिखने हैं।

परीक्षा पद्धति (Examination Pattern) :

सत्रीय गृहकार्यः प्रत्येक पाठ्यक्रम में सत्रीय गृहकार्य 20 अंकों का होगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम में दो सत्रीय गृहकार्य करने होंगे। सत्रीय गृहकार्य पूर्ण करके सत्रांत परीक्षा से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा करवाना होगा।

सत्रांत (मुख्य) परीक्षाः एम.ए. (पूर्वार्द्ध) एवं एम.ए. (उत्तरार्द्ध) न्यूनतम अवधि अर्थात् 1 वर्ष के बाद विद्यार्थी की प्रत्येक पाठ्यक्रम की तीन घंटे की लिखित परीक्षा होगी। प्रत्येक पाठ्यक्रम की सत्रांत परीक्षा के लिए अधिकतम 80 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम के दोनों भागों अर्थात सत्रांत परीक्षा एवं सत्रीय गृहकार्य में उत्तीर्ण होने के लिए दोनों में मिलाकर उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत हैं। परन्तु किसी एक भाग सत्रीय गृहकार्य अथवा सत्रांत परीक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। यदि विद्यार्थी कुछ पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण नहीं कर पाया है तो उन पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने के लिए छः माह बाद होने वाली आगामी परीक्षा में पुनः बैठ सकता है। किसी एक परीक्षा में नए एवं पुराने अनुत्तीर्ण रहे पाठ्यक्रमों को मिलाकर अधिकतम 56 क्रेडिट के पाठ्यक्रमों की परीक्षा दे सकता है।

अंक तालिका में सत्रीय गृहकार्य एवं सत्रांत परीक्षा के अंकों को अलग–अलग दर्शाया जायेगा। सफल विद्यार्थियों को निम्न तालिका के अनुसार श्रेणी प्रदान की जाएगी–

प्रथम श्रेणी	–	60% एवं अधिक
द्वितीय श्रेणी	–	48% एवं 60% से कम
उत्तीर्ण	–	36% एवं 48% से कम

एम.ए. (पूर्वार्द्ध) परीक्षा में कोई श्रेणी नहीं दी जाएगी।